प्रेस नोट
दिनांक 13.07.2024

थाना छपिया पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामदः–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–192/24, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त रामऔतार उर्फ खुड़बुड़ पुत्र रामनाथ प्रजापति नि0 सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को बभनान रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (आलाकत्ल) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 12.06.2024 की सुबह थाना छपिया क्षेत्र के ग्राम सिसई रानीपुर निवासी बजरंगी पुत्र रामनाथ द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनकी पत्नी को उनके बड़े भाई राम अवतार द्वारा कुल्हाड़ी से गले पर प्रहार करके हत्या कर दी गयी है। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया था। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी। मृतका के पति बजरंगी पुत्र रामनाथ प्रजापति नि0 ग्राम सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष छपिया को अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक 13.07.2024 को थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना कारित करने वाले हत्याभियुक्त रामऔतार उर्फ खुड़बुड़ को 24 घण्टे के अन्दर बभनान रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (आलाकत्ल) बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सन 2003 में हत्या के मुकदमें में जेल गया था तथा सन 2019 में जेल से छूट कर आया था। अभियुक्त का कहना है की जब अभियुक्त जेल में था तब उसके भाई बजरंगी द्वारा अभियुक्त के घर/जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया की अपने घर/जमीन को मांगने पर उसकी छोटे भाई की पत्नी के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इसी बात से क्षुब्ध होकर अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.07.2024 की सुबह लगभग 5:00 बजे योजनाबद्ध तरीके से शौच

जाते समय अपने छोटे भाई की पत्नी की कुल्हाड़ी से गले पर प्रहार करके हत्या कर दी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामऔतार उर्फ खुड़बुड़ पुत्र रामनाथ प्रजापति नि0 सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–192/24, धारा 103(1) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (आलाकत्ल)

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष कृष्णगोपाल राय थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 सुरेश यादव।
03. उ0नि0 घनश्याम वर्मा।
04. हे0का0 दिलीप कुमार।
05. हे0का0 पुनीत वर्मा।
06. हे0का0 महेन्द्र पासवान।
07. का0 मृदुल सनाढ़य।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.07.2024, थाना को0कर्नलगंज,

जनपद गोण्डा।

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा नशीली गोलियों के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 300 नशीली गोली(अलप्राजोलम) बरामदः-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी को0कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा देखाभाल क्षेत्र के दौरान स्टेशन रोड़ निर्माणाधीन टंकी के पास से अभियुक्त 01.अवनीश कुमार राजभर पुत्र कोमल प्रसाद राजभर निवासी भुइदरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 300 अदद नशीली गोलियां(अलप्राजोलम) बरामद कर थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-350/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 13.07.2024 को थाना को0 कर्नलगंज के उ0नि0 सरफराज खान मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन टंकी के पास संदीग्ध 01 व्यक्ति दिखाई दिया जिसे रोककर पूछताछ किया गया तो अभियुक्त अवनीश कुमार राजभर पुत्र कोमल प्रसाद राजभर निवासी भुईदरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 307 अदद नशीली गोलियां(अलप्राजोलम) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0कर्नलगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-350/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अवनीश कुमार राजभर पुत्र कोमल प्रसाद राजभर निवासी भुइदरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-350/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 300 अदद नशीली गोलियां (अल्प्राजोलम 0.50Mg)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सरफराज खान
02. उ0नि0 अंकित सिंह
03. उ0नि0 आशीष कुमार
04. का0 अंकित यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
थाना समाधान दिवस
दिनांक 13.07.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली नगर व कोतवाली देहात में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देशः-

गोण्डा। आज दिनांक 17.07.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना थाना कोतवली नगर व थाना कोतवाली देहात में जनसुनवाई की गई। महोदय द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना कोतवाली नगर में सुनवाई के दौरान 10 व थाना कोतवाली देहात में सुनवाई के दौरान 03 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया। समस्त थानों में प्राप्त हुए कुल – 191 प्रार्थना पत्रों में से 15 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया तथा शेष राजस्व संबंधित मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारण हेतु मौके पर भेजा गया।

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 13.07.2024</u>

<u>थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार,</u>

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत में मु0अ0स0- 265/2024 धारा 109, 117(2), 115(2),352, 351(2), 304(2), 333, 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तो 01. रामअछैवर तिवारी व 02. सौरभ तिवारी को गोनार्द एजुकेशनल इस्टीट्यूट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

वादी कृष्ण सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी घाटकापुरवा मौजा धोबहाराय थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार पर सूचना दी गई कि दिनांक 03.07.2024 को दुकान बन्द कर रहा था की विपक्षीगण द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर दुकान पर आये और गाली गुप्ता देने लगे मना करने पर जान से मारने की नियत से लाठी, डन्डा व हाकी से मारने पीटने लगे व मोबाइल उठा ले गये है, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में 265/2024 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस बनाम रामअछैवर आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 109, 117(2), 304(2), 333, 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 13.07.2024 को नामजद अभियुक्तगण 01. रामअछैवर तिवारी व 02. सौरभ तिवारी को गोनार्द एजुकेशनल इस्टीट्यूट के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गई 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. रामअछैबर तिवारी पुत्र रामकुमार तिवारी निवासी झौहना थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
02. सौरभ तिवारी पुत्र रामअछैबर तिवारी निवासी झौहना थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0स0- 265/2024 धारा 109, 117(2), 115(2),352, 351(2), 304(2), 333, 317(2) बीएनएस थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 रामअशीष मौर्या
02. उ0नि0 शिवगिरी
03. हे0का0 अजीत यादव

04. का0 सोमपाल मौर्य
05. का0 छोटेलाल

मीडिया सेल, गोण्डा।